# सहभागी संस्थाओं/ बैंकिंग संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी (मुद्रा) ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यवसाय तथा सेवा गतिविधियों सहित समस्त पात्र गतिविधियों में लगी सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान करने वाली सहभागी ऋणदारी संस्थाओं तथा विभिन्न श्रेणियों के बैंकों हेतु पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने संबंधी पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं।

## I. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

### क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

- विगत 2 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो अथवा मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दीर्घावधि लिखतों हेतु न्यूनतम रेटिंग ए-माइनस हो।
- निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर 15% से अधिक न हो।
- सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार हो।
- `250 करोड़ से अधिक नेटवर्थ हो

### ख. निजी क्षेत्र के बैंक

- विगत 2 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो अथवा मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दीर्घावधि लिखतों हेतु न्यूनतम रेटिंग ए-माइनस हो।
- निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर 3% से अधिक न हो।
- सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार हो।
- `250 करोड़ से अधिक नेटवर्थ हो

## II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- विगत 2 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो।
- निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर 6% से अधिक न हो।
- सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार हो।
- `50 करोड़ से अधिक नेटवर्थ हो

## III. शहरी सहकारी बैंक

- 3 वर्षों की अवधि से परिचालन में हो।
- विगत 4 वर्षों में से न्यूनतम 3 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो तथा तत्काल पिछले वर्ष के दौरान निवल घाटा न हुआ हो।
- विनिर्माण, व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगी सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण बकाया पोर्टफोलियो हो।
- विगत लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार आधारभूत रूप से मजबूत हो, यथा -

  (अ) न्यूनतम `50 करोड़ की नेटवर्थ;

  (आ) जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वितते रूप से सशक्त तथा सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) शहरी सहकारी बैंकों हेतु निर्धारित दर के अनुसार; तथा

(इ) अनर्जक आस्तियों का स्तर 3% से अधिक न हो।
(ई) बही खातों में संचित घाटा न हो।

- बैंक अनुसूचित हो।
- बैंक की पिछली लेखा परीक्षा विवरणी के अनुसार '2' श्रेणी का लेखापरीक्षा वर्गीकरण मिला हो।

## IV. राज्य सहकारी बैंक

- निवल अनर्जक आस्तियां विगत लेखा प्रीषित विवरणियों के अनुसार 10% से अधिक न हों।
- विगत 2 वर्षों में लाभ निवल अर्जित किया हो।
- लेखा बहियों में कोई संचित घाटा न हो।
- बैंक की पिछली लेखापरीक्षित विवरणी के अनुसार 'ए' श्रेणी का लेखापरीक्षा वर्गीकरण। .
- राज्य सहकारी बैंक जिनका सीआरएआर समय सामी पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार हो।
- राज्य सहकारी बैंकों के साथ सम्बद्ध उक्त अपेक्षाओं के अनुसार सीआरएआर वाली भिन्न भिन्न डीसीसीबी भी राज्य सहकारी बैंकों को मंजूर की गई समग्र एक्सपोजर सीमा के भीतर उक्त राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त आहरित कर सकती हैं।

## V. अल्प वित्त संस्थाएं

- संस्था का एक पंजीकृत विधिक इकाई होना आवश्यक है जोकि न्यूनतम विगत 3 वर्षों से सूक्ष्म इकाइयों को मुद्रा के ऋण आकार संबंधी मानदंडों के अनुसार (जोकि वर्तमान में `1 लाख है अथवा समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार) ऋण प्रदान कर रही हो, अथवा प्रवर्तक / प्रबंधन को न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।.
- कम से कम 3000 वर्तमान उधारकर्ताओं तक पहुँच हो।
- नीचे दी गई न्यूनतम क्षमता निर्धारण रेटिंग प्रपट की हो:
- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा पुडुचेरी के लिए एमएफआर-4 (क्रिसिल के समतुल्य)
- अन्य राज्यों की अल्प वित्त संस्थाओं के लिए टियर I, टियर II हेतु एमएफआर-4 (क्रिसिल के समतुल्य) तथा टियर III अल्प वित्त संस्थाओं के लिए एमएफआर–5
- संस्था के पास सुदृढ सिस्टम्स, प्रक्रियायेँ तथा प्रविधियाँ जिए आंतरिक लेखांकन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, एमआईएस, नकदी प्रबंधन, इत्यादि होने चाहिए।
- सूक्ष्म इकाई श्रेणी में स्वयं खाता उद्यमों अर्थात स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय को लक्ष्य करना चाहिए।
- एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकृत एमफआई हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर तथा अन्य मानदंडों तथा मूल्यन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य समस्त दिशानिदेशों का अनु पालन करना चाहिए।
- तीन वर्षों का लाभदायक ट्रैक रेकॉर्ड, न्यूनतम 90% का वसूली कार्यनिष्पादन, 90 दिन से अधिक पोर्टफोलियो एट रिस्क 5% से कम (विशेष मामलों में इसे 7% तक शिथिल किया जा सकता है)
- भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियों के अनुसार क्रेडिट ब्यूरोज़ का सद होना चाहिए।
- न्यूनतम `0.50 करोड़ की ऋण/ पुनर्वित्त सहायता की मांग होनी चाहिए।
- गरीबों, विशेषकर महिलाओं को मुख्य रूप से सहायता प्रदान करता हो तथा धर्म निरपेक्ष हो।
- लेखापीक्षित लेखा विवरणियाँ (वे गैर सरकारी संस्थायेँ जोकि अल्प वित्त को एक कार्यक्रम के रूप में चला रहे हैं को अप वित्त कार्यक्रम हेतु अलग लेखा परीक्षित लेखाविवरणियाँ ) उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। तथा

- किसी अन्य संस्था के वर्तमान अल्पवित्त परिचालनों को अधिग्रहीत करके स्थापित की गई किसी भाई अल्प वित्त संस्था तथा एनबीएफसी के मामले में विगत इकाई के ट्रैक रेकॉर्ड पर भी सहायता हेतु विचार किया जा सकता है, जिसमें विगत रेटिंग्स, इत्यादि, प्रतिभूति के रूप में रखी जाने वाली एफडीआर, इत्यादि शामिल हैं, यदि प्रवर्तक । वरिष्ठ प्रबंधन / विगत इकाई के अल्प वित्त कार्यक्रम का अधिकांश भाग (>60%) में निरंतरता बनी रहे।
- मुद्रा का ऋण अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा गैर कृषि आय अर्जक गतिविधियों हेतु तथा सूक्ष्म/लघु उद्यम लगाने व चलाने हेतु दिया जा सकता है जिस में व्यवसाय / सेवा गतिविधियां शामिल हैं।

## VI. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी )

### अ. बड़ी एनबीएफसी यथा जिनका आस्ति आकार `500 करोड़ से अधिक है।

- एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक में आस्ति वित्तपोषण कंपनी (एएफसी) अथवा ऋण कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। एनबीएफसी-ऋण कंपनी के मामलों में, इस आशय का सीए प्रमाणपत्र दिया जाना होगा कि यदि ऋण आय अर्जक गतिविधियों हेतु दिये जाते हैं तो 60% आय उत्पादक आस्तियों से आती है।
- एनबीएफसी को 5 वर्षों से परिचालन में होना आवश्यक है तथा विगत 3 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो। पुराने वाहनों का वित्तपोषण करने वाली एनबीएफसी के लिए आवश्यक होगा कि उसे इस गतिविधि का 3 वर्ष का अनुभव हो तथा इस अवधि के दौरान उसने लाभ कमाया हो।
- न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां न्यूनतम `20 करोड़ हों तथा न्यूनतम आस्तियाँ `50 करोड़ हों।
- सीआरएआर – न्यूनतम 15%
- न्यूनतम 90% की वसूली दर तथा निवल अनर्जक आस्तियां 3% से कम हों।
- बाह्य रेटिंग बीबीबी+ अथवा अधिक हो

## A. SMALLER NBFCs i.e. Asset size less than Rs.500 crore

- एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक में आस्ति वित्तपोषण कंपनी (एएफसी) अथवा ऋण कंपनी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। एनबीएफसी-ऋण कंपनी के मामलों में, इस आशय का सीए प्रमाणपत्र दिया जाना होगा कि यदि ऋण आय अर्जक गतिविधियों हेतु दिये जाते हैं तो 60% आय उत्पादक आस्तियों से आती है।
- एनबीएफसी को 5 वर्षों से परिचालन में होना आवश्यक है तथा विगत 3 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया हो। पुराने वाहनों का वित्तपोषण करने वाली एनबीएफसी के लिए आवश्यक होगा कि उसे इस गतिविधि में 3 वर्ष का अनुभव हो तथा इस अवधि के दौरान उसने लाभ कमाया हो। ऐसी एनबीएफसी को वरियता दी जाएगी जिन्हें अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको से ऋण सुविधाएं प्राप्त हैं तथा वे अच्छी तरह से चल रही हैं।
- न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां न्यूनतम `15 करोड़ हों तथा न्यूनतम आस्तियाँ `25करोड़ हों।
- तत्काल विगत वित्तीय वर्ष के दौरान एनबीएफ सी ने न्यूनतम `20 करोड़ क व्यवसाय किया हो।
- सीआरएआर – न्यूनतम 15%
- न्यूनतम 90% की वसूली दर तथा निवल अनर्जक आस्तियां 3% से कम हों।
- बाह्य रेटिंग बीबी- अथवा अधिक हो। बाह्य रेटिंग 6 माह से अधिक पुरानी न हो।